पटना विश्वविद्यालय

कार्यालय आदेश

जिलाधिकारी, पटना के पत्रांक संख्या 5604 / C दिनांक 08.07.2020 के द्वारा सम्पूर्ण पटना जिला में पुर्णतः लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है उक्त निर्णय के आलोक में दिनांक 10.07.2020 से 16.07.2020 तक पटना विश्वविद्यालय के मुख्यालय / स्नातकोत्तर विभाग कार्यालय / अंगीभूत महाविद्यालय कार्यालय / एवं अन्य सम्बद्ध इकाई, प्राप्त अनुदेश के तहत पूर्णतः बंद रखने का निर्णय लिया गया है। शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिया जाता है की वे टेलीफोन डायरेक्टरी में दिए गए संपर्क नंबर पर सदैव उपलब्ध रहेंगे जिससे की आवश्यकतानुसार उन्हें कार्यस्थल पर बुलाया जा सके। प्राचार्य, विभागाध्यक्ष एवं पदाधिकारीयों को भी निर्देश दिया जाता है की वे अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी प्रकार के कर्मियों का संपर्क नंबर अपने पास उपलब्ध रखेंगे। शिक्षक एवं अथिति शिक्षकों को सूचित किया जाता है की इस असाधारण बंद कि अवधि के दौरान पूर्व में निर्गत ज्ञापांक 2662 / R दिनांक 20.03.2020 में दिए गए शैक्षणिक दिशा - निर्देश का पालन यथावत् करेंगे।
आवश्यक सेवाएँ जैसे सुरक्षा, सफाई और स्वास्थ्य से जुड़े कर्मियों की उपस्थिति अनिवार्यता के अनुसार कुलसचिव निर्धारित करेंगे।

कुलपति के आदेशानुसार,

09/7/2020

कुलसचिव
पटना विश्वविद्यालय

ज्ञाप संख्या :- AC / Estab. / 800 पटना, दिनांक 09 / 07 / 2020

प्रतिलिपिः (1) सभी संकायाध्यक्ष, प० वि०, (2) सभी विभागाध्यक्ष, प० वि०, (3) सभी निदेशक, प० वि०,(4) सभी प्राचार्य, प० वि०, (5) सभी पदाधिकारी,प० वि०, (6) सभी सम्बद्ध इकाईयों के नियंत्री पदाधिकारी, प० वि०,(7) सभी प्रशाखा पदाधिकारी, प० वि०, (8) कुलपति / प्रतिकुलपति / कुलसचिव/ के निजी सहायक तथा (9) डॉ० के० पी० सिंह, इंचार्ज पटना विश्वविद्यालय संगणक केंद्र, प० वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

09-07-2020

कुलसचिव
पटना विश्वविद्यालय

ज्ञाप संख्या :- AC / Estab./ 801 पटना, दिनांक 09 / 07 / 2020

प्रतिलिपिः (1) जिलाधिकारी, पटना (2) अपर मुख्य सचिव के निजी सहायक, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार एवं (3) प्रधान सचिव के निजी सहायक, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

09-07-2020

कुलसचिव
पटना विश्वविद्यालय

09/7/2020